# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./5249/2003/भरतपुर

सरमन पु भोवली (फोत)
जरिये वारिसान :–
1– बूधो बेवा सरमन
2– प्रहलाद पुत्र सरमन
3– लक्ष्मण पुत्र सरमन
4– लज्जा देवी पुत्री सरमन पत्नि देशराज
5– सन्तादेवी पुत्री सरमन पत्नि रामकिशन
6– रमेश पुत्र सरमन (मृतक)
जरिये वारिसान :–
6/1. शीला देवी बेवा रमेश
6/2. मदनलाल )
6/3. रिन्कू )
6/4. रिंकी ) पिसरान रमेश नाबालिग जरिये वली माता
6/5. अनिता ) मु0 शीलादेवी बेवा रमेश
6/6. ममता )
समस्त जाति कुम्हार निवासी मूडिया तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

शेरसिंह दत्तक पुत्र किरोडी नाबालिग जाति कुम्हार निवासी ग्राम मुडिया तहसील नगर नाबालिग जरिये संरक्षक प्यारे पुत्र भोवली जाति कुम्हार निवासी ग्राम मुडिया तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकल–पीठ
श्री खजान सिंह, सदस्य

उपस्थितः
श्री वैभव कृष्ण पारीक अधिवक्ता प्रार्थी
श्रीमती पूनम माथुर अधिवक्ता अप्रार्थी।

----

निर्णय

दिनांकः 28 जुलाई, 2022

हस्तगत् अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 43/20022 में पारित निर्णय दिनांक 17–9–2003 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खातेदार किरोडी के फोत होने पर गोदनामे के आधार पर ग्राम पंचायत ने नामांतरकरण संख्या 329 प्रत्यर्थी शेरसिंह के हक में स्वीकृत करने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, डीग के समक्ष अपीलार्थी ने अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–5–99 द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, नगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि दोनों पक्षों को सुनकर गोदनामे पर साक्ष्य लेकर विधिवत रूप से निर्णय पारित करें। रिमाण्ड आदेश की पालना में तहसीलदार, नगर ने दिनांक 27–5–2002 के निर्णय द्वारा मृतक किरोडी के वारिस उसके सगे भाई सरमन एवं प्यारे को मानते हुए राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी ने प्रथम अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहां पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–9–2003 द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार, नगर के आदेश दिनांक 27–5–2002 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 17–9–2003 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया कि विवादित भूमि के खातेदार सरमन, किरोड़ी एवं प्यारे थे जिनमें किरोडी लाऔलाद फोत होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी एवं प्यारे ही उसके सगे भाई होने के कारण प्रथम श्रेणी के वारिस हैं। इस तथ्य की जांच कर तहसीलदार ने अपीलार्थी एवं प्यारे के नाम किरोडी की भूमि को बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया था। अधीनस्थ न्याायलय ने अपने निर्णय में यह माना है कि गोदनामा फर्जी एवं कूटरचित तरीके से किराड़ी की भूमि हड़पने की नीयत से बनाया गया है जो प्रस्तुत गवाहों एवं सबूतों के आधार पर फर्जी साबित होने के कारण तहसीलदार ने उसे अमान्य मानकर विधिवत निर्णय पारित किया है, जिसे मानने में अधीनस्थ ने विधिक त्रुटि की है। शेरसिंह के पिता जो शेरसिंह को किराडी के यहां गोद जाना बताते है वे स्वयं यह नहीं बता पा रहे है कि शेरसिंह को किस तारीख को गोद दिया गया। इस प्रकरण में गोदनामे की प्रक्रिया सही साबित नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी को गोदपुत्र होना मानकर निर्णय करने में विधिक भूल की है। उनका यह भी कथन है कि शेरसिंह जिस स्कूल में पड़ता था उसके अध्यापक श्री मोहनलाल शर्मा ने शेरसिंह के पिता का नाम विद्यालय रिकार्ड अनुसार प्यारे दर्ज होना बताया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम पंचायत मूडिया द्वारा अपीलार्थी सरमन के पुत्र प्रहलाद की स्वीकृति गलत रूप से दर्ज कराई है जब खातेदार सरमन स्वयं जीवित है तो नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व सरमन को नोटिस दिया जाकर बयान लिये जाने चाहिए थे। सरमन के रहते हुए उसके पुत्र की स्वीकृति लिये जाने का काई औचित्य ही नहीं

है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आलोच्य आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-5-2002 को बहाल रखा जावे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने 2017 (4) डी.एन.जे. (राज.) 1794, 2021 (1) आर.आर.टी. 645, 2007 (2) डब्लयू एल.सी. (एस.सी.) सिविल 410, 2016 (23) आर. बी.जे. 221, 2021 (28) आर.बी.जे. 213, 1985 आर.आर.डी. 99, 2021 (2) डी.एन.जे. (रेव) 964 2012 आर.आर.डी. 104, 2012 आर.आर.डी. 765, 2009 आर.आर.डी. 123 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

4- इसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन है कि तहसीलदार, नगर को गोदनामा की सत्यता व असत्तया की जांच करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। गोदनामा के संबंध में केवल सिविल न्यायालय ही अपना निष्कर्ष दे सकती है। तहसीलदार ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गोदनामा पर अपनी टिप्पणी दर्ज की है जो अविधिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की गहनता से परिशीलन कर तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय को अवैधानिक पाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर तहसीलदार का निर्णय खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

5- हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया।

6- पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रकरण में किरोडी के लाऔलाद फोत होने पर दत्तक पुत्र शेरसिंह के पक्ष में जो गोदनामा दिनांक 04-11-97 को नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक किया गया है, उसकी सत्यता अथवा असत्यता के संबंध में तहसीलदार अपना निष्कर्ष दे सकता है अथवा नहीं इस बिन्दु को तय किया जाना है।

7- हमारे विनम्र मत में गोदनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में केवल नामांतरकरण वारिसान के नाम खोला जाता है। नामांतरकरण एक फिसिकल प्रोसीडिंग है जिससे सरसरी तौर पर पक्षकार का नाम नामांरतरकण के जरिये दर्ज किया जाता है। जहां तक गोद नामा का संबंध है। गोदनामा एक लिखित पत्र है, चाहे वह नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराया गया हो, उप पंजीयक के यहां रजिस्टर्ड कराया गया, किसी ग्राम पंचायत द्वारा साक्ष्यों के हस्ताक्षर करवाकर तस्दीक किया गया है। इनके द्वारा तैयार किया गया गोदनामा तब तक अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कोई पक्षकार सिविल न्यायालय के समक्ष गोदनामा के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर इसे अवैधानिक घोषित नहीं करवा लेता। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीदार ने शेरसिंह के पक्ष में गोदनामे को

सही नहीं माना है जबकि हमारे विनम्र मत में तहसीलदार को गोदनामा को सही अथवा गलत करार करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

8– यदि गोदनामा से किसी पक्षकार को आपत्ति है तो वह केवल सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर ही गोदनामे को चैलेन्ज कर सकता है, राजस्व न्यायालयों के स्तर पर इस पर कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है।

9– न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17–9–2003 में भी यही मत अभिव्यक्त किया है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमें हम अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझते है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

10– उपरोक्त विवेचन के आधार अपील खारिज की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 17–9–2003 बहाल रखा जाता है।

11– निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(खजान सिंह)
सदस्य